कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सूर्या चेन्स प्राइवेट लिमिटेड, डी-7, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, दिल्ली रोड, सहारनपुर।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**005 / 15, 25.02.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 के0 गुप्ता, डायरेक्टर।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री सूर्या चैन्स प्राइवेट लिमिटेड, डी-7, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, दिल्ली रोड, सहारनपुर द्वारा दिनांक 25.02.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा chains के spare parts पर, कर की दर के विनिश्चय का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री एस0 के0 गुप्ता, डायरेक्टर उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रार्थी इन्डस्ट्रियल चेन्स (Industrial Chains) के निर्माण का कार्य करते हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि चेन्स पर कर की दर के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II की प्रविष्टि संख्या-325 के अनुसार 5% की दर से करदेयता निश्चित की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि चेन्स के स्पेयर पार्ट्स को उक्त प्रविष्टि में लिखने की भूल की गयी है। इस सम्बन्ध में पुन: एक प्रविष्टि संख्या-53 का उल्लेख करते हुए चेन्स के स्पेयर पार्ट्स को include होना मानते हुए इस पर कर की दर के विनिश्चय का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर द्वारा पत्र संख्या-71, दिनांक 10.04.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी मुख्य रूप से इण्डस्ट्रियल कन्वेयर, इण्डस्ट्रियल चेन्स एवं इण्डस्ट्रियल चेन्स पार्ट्स का निर्माण करके बिक्री करते हैं, तथा व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से इन वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित शेड्यूल-II के आइटम नम्बर-53 के आधार पर सम्बन्धित प्रश्न के विनिश्चय को तार्किक नहीं माना है क्योंकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-53 पर Glucose; Branded honey. की प्रविष्टि, शेड्यूल-II, पार्ट-बी में मात्र प्रविष्टि संख्या-29 तक ही प्राविधानित है, तथा शेड्यूल-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-53 पर Chromium oxides and hydroxides. से सम्बन्धित प्रविष्टि है, तथा शेड्यूल-II, पार्ट-बी में 53 क्रमांक की कोई प्रविष्टि नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-4 निम्नवत है :-

All metal casting including unfinished and unmachined manhole covers; chains made of any metals or alloy other than those made of items described in Schedule III.

.....2

उक्त प्रविष्टि के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित आख्या में यह कहा गया है कि व्यापारी द्वारा मशीनरी, इक्यूपमेन्ट, डाईज के साथ स्पेयर पार्ट्स एवं सेन्ट्री फयूगल पम्प एण्ड पार्ट्स पर एक समान करदेयता निर्धारित है उसी के अनुसार चेन्स पार्ट्स पर भी उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत करदेयता के विनिश्चय का प्रश्न आच्छादित हो सकता है । पुन: यह भी उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तु वास्तव में इण्डस्ट्रियल चेन्स एवं चेन्स पार्ट्स जो शुगर मिलों में गन्ना / बगास को ऊपर ले जाने में रोपवे को आगे बढ़ाने के कार्य में प्रयुक्त होता है । इस प्रकार व्यापारी द्वारा निर्मित इण्डस्ट्रियल चेन्स पार्ट्स उक्त प्रविष्टि क्रमांक-4 से भी आच्छादित नहीं होती । अत: प्रश्नगत वस्तु पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित होनी चाहिए ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को भ्रामक होना बताया गया है, तथा चेन्स के स्पेयर पार्ट्स को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की प्रविष्टि संख्या-53 से आच्छादित नहीं होना बताया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-53 निम्नवत है :-

प्रविष्टि संख्या-53

Glucose; Branded honey.

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी के अन्तर्गत प्रविष्टि संख्या-53 प्राविधानित नहीं है, तथा इसकी अन्तिम प्रविष्टि संख्या-29 है, तथा इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-53 निम्नवत है :-

प्रविष्टि संख्या-53

Chromium oxides and hydroxides.

जबकि प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न से इन प्रविष्टियों से न तो कोई सम्बन्ध है और न ही वॉछित वस्तुएं आच्छादित होती हैं । अत: प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य भ्रामक हैं । जहॉ तक एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-4 के आधार पर टिप्पणी अंकित की गयी है चूँकि प्रश्नगत प्रविष्टि इन्डस्ट्रियल चेन्स को आच्छादित नहीं करती इसके अतिरिक्त चूँकि प्रार्थी द्वारा दाखिल नक्शों में वर्ष 2013-14 तक इण्डस्ट्रियल चेन्स एवं उनके स्पेयर पार्ट्स पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है । अत: रूपपत्रों में करदेयता के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का

...3

परिशीलन किया गया, तथा विचारोपरान्त पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में जिस प्रविष्टि संख्या-53 का उल्लेख किया गया है वह प्रविष्टि संख्या-53 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के अन्तर्गत निम्नवत है :-

प्रविष्टि संख्या-53

Glucose; Branded honey.

तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी में प्रविष्टि संख्या-53 अस्तित्व में नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी के अन्तर्गत प्रविष्टि संख्या-53 निम्नवत है :-

प्रविष्टि संख्या-53

Chromium oxides and hydroxides.

उक्त प्रविष्टियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में अंकित वस्तु (इन्डस्ट्रियल चेन्स एवं उसके स्पेयर पार्ट्स) उक्त प्रविष्टियों से आच्छादित ही नहीं होती तब ऐसी दशा में चेन्स के स्पेयर पार्ट्स को Omit किये जाने का तर्क भी प्रार्थना-पत्र में भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया गया है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा विभाग में वर्ष 2013-14 तक दाखिल रूपपत्रों में प्रार्थी द्वारा बिक्री की गयी वस्तु इण्डस्ट्रियल कन्वेयर, इण्डस्ट्रियल चेन्स एवं इण्डस्ट्रियल चेन्स पार्ट्स की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है। स्पेयर पार्ट्स के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र में उद्धरित प्रविष्टि संख्या-53 भ्रामक रूप से प्रस्तुत की गयी है, तथा इण्डस्ट्रियल चेन्स के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II के अन्तर्गत कोई प्रविष्टि भी नहीं पायी गयी। समग्र रूप से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में समस्त तथ्यों का परिशीलन किये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि चूँकि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत वस्तु की बिक्री रूपपत्रों में घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है। अत: प्रश्नगत बिन्दु विवादित रूप से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष proceeding pending मानी जायेगी, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में दिये गये निर्णय के क्रम में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद

...4

विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अत: इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के निम्नलिखित प्राविधान :-

(1) If any question arises, otherwise than in a proceedings pending before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof, का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत बिन्दु का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत किया जाना विधि संगत नहीं है । अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी , कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 11 मई, 2015

ह0 / 11.05.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।